न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी — श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 — 66/2011
प्रकरण दर्ज — 24.6.2011
प्रकरण निस्तारण — 5.4.2019

अनुवानी प्रकरण

1. रमसी पुत्र मूल्या
2. रमेश पुत्र मूल्या
3. पूना उर्फ पूरण पुत्र मूल्या
4. चन्दू पुत्र मूल्या
5. कैलाश पुत्र मूल्या
6. नाथी बेवा मूल्या
7. समस्त जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

— वादीगण

बनाम

1. मूल्या पुत्र रेवड
2. कन्हैया पुत्र रेवड
3. शंकर पुत्र रेवड
4. रामजीलाल पुत्र नारायण
5. मूलचन्द पुत्र नारायण
6. भगवान सहाय पुत्र नारायण
7. मोती पुत्र धन्ना
8. रामफूल पुत्र धन्ना

   समस्त जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)
9. एसबीबीजे शाखा गीजगढ तहसील किराय जिला दौसा।
10. दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सिकराय।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज व तकास्मा

निर्णय दिनांक —5.4.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 2715 लगायत 2736 कुल खसरा संख्या 22 कुल रकबा 50 बीघा 16 बिस्वा वाके रामा गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा मे स्थित है जिसमे पूर्व मे हिस्सा 1/2 गंगोल्या पुत्र मूल्या के नाम एवं उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त का था। जिसे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व वादीगण के बाबा छोटेलाल पुत्र हुकमा द्वारा क्रय किया थां उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नामान्तकरण संख्या 236 दिनांक 2.8.1964

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला—दौसा

Scanned by CamScanner

को हुआ। उक्त भूमि की खरीद मे मूल्या कन्हैया पि0 रेवडया. खरीदशुदा भूमि मे हिस्सा 1/3 शंकर पुत्र रेवड का हिस्सा 1/3 एवं वादीगण के बाबा मृतक छोटेलाल पुत्र हुकमा का हिस्सा 1/3 का और इसी अनुरूप बाद खरी भूमि मौके पर काबजि काश्त करते रहे। वादीगण के बाबा मृतक छोटेलाल के वारिस अर्थात वादीगण 1 लगायत 5 के पिता व 6 के पति मूल्या पुत्र छोटेलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसका विरासत का नामान्तकरण खुलकर मृतक छोटेलाल के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड मे शंकर जो वास्तविक रूप से रेवड की सन्तान है किन्तु राजस्व रिकार्ड ते उसकी वल्दियत हुकमा दर्ज कर दी गई हैं इसी गलती के कारण वादीगण व प्रतिवादी 1 लगायत 3 के हक हिस्से की व्याख्या हल्का पटवारी द्वारा गलत तरीके से की जा रही है क्योंकि खाते मे मूल्या कन्हैया पि0 रेवड संयुक्त रूप से खरीदशुदा भूमि का 1/3 एवं सम्पूर्ण खाते का 1/6 हिस्से के खातेदार हैं इस प्रकार मूल्या पुत्र रेवड कन्हैया पुत्र रेवड प्रत्येक का पृथक पृथक 1/12 हिस्सा होना चाहिये था किन्तु राजस्व रिकाड्ड मे मूल्या पुत्र रेवड का हिस्सा 1/8 अंकन किया हुआ हैं जिसके अंकन मे जमाबन्दी के समस्त हिस्साकसी अस्पष्ट हो गई है। एवं शंकर की वल्दियत जो कि पूर्व मे दर्ज नही थी तथा जिसे गलत रूप से हुकमा का पुत्र अंकित किया हुआ हैं जिसके कारण खाते मे और भी पेचीदगी आ गई हैं वादीगण विक्रय पत्र के आधार पर विरासत एवं वर्तमान दर्ज खातेदारी एवं तदनुसार कब्जेकाश्त के आधार पर अपने हिस्से सम्पूर्ण खाते का हिस्सा 1/6 को शेष्ज्ञ खाते से पृथक करवाकर अपने खोतदारी अधिकारों की अधिघोषणा कराने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार दावा दर्ज होने पर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री धर्मेन्द्र चौधरी अधिवक्ता उपसिति आये परन्तु जवाब दावा पेश नही किया गया ताा जवाब दावा बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत की गई। साक्ष्या वादी पी डब्ल्यू 1 रमसी पुत्र मूल्या पी डब्लू 2 कैलाश पुत्र सोहनलाल पी डब्लू 3 हरिराम पुत्र हारयाराम बतोर शपथ पत्र पेश किये । प्रतिवादी साक्ष्य पेश पही करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। इसी प्रकरण से सम्बन्धित दूसरा वाद उनवानी शंकर बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 82/2011 इस वाद के साथ हम फीता किया गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 27.3.2018 को दावा नोट प्रेस किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद साबित नही होने के कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/4/19

हरिताभ कुमार आदित्य
उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

Scanned by CamScanner